न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/90 (प्राथमिक डिकी) **दायरा दिनांक : 14.06.2022**

उनवान

1. भंवर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, आयु 75 वर्ष
2. कल्याण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, आयु 70 वर्ष
3. मोहन सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, आयु 60 वर्ष
4. छीतर सिंह पुत्र भंवर सिंह, आयु 53 वर्ष

जाति राजपूत, निवासीगण श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज०
2. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद, जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/89 (अंतिम डिकी) **दायरा दिनांक : 14.06.2022**

उनवान

1. भंवर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, आयु 75 वर्ष
2. कल्याण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, आयु 70 वर्ष
3. मोहन सिंह पुत्र हरनाथ सिंह, आयु 60 वर्ष
4. छीतर सिंह पुत्र भंवर सिंह, आयु 53 वर्ष

जाति राजपूत, निवासीगण श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज०
2. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद, जिला बारां राज०

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री मदनलाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.10.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 106/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 23.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 257 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 318 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 546 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 548 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 549 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 598/263 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 639/328 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किता 15 कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा माल श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद में स्थित है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 48 सम्वत् 2070 ता 2073 वादी के हिस्से 1/3 से दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 255 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा माल श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद में स्थित है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 171 सम्वत् 2070 ता 2073 वादी हिस्सा 1/6 से दर्ज जमाबंदी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 23.02.2021 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2022/90 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकिया का अनुसरण किये बिना अपीलान्ट/प्रतिवादी के वाद की विधिवत तामील कराये बिना उसके व अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा आदेश दिनांक 12/03/2018 को पारित कर दिया गया एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एवं बिना सुने एकतरफा सुनवायी कर निर्णय पारित किया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बिना सम्यक तामील कराये एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर एकतरफा निर्णय किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वाद पत्र में पारित एक्सपार्टी आदेश अपास्त किया जाकर अपीलान्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने, जवाब व प्रतिरक्षा साक्ष्य व पारिवारिक समझाइश के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर तत्पश्चात सुनवायी कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है ताकि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पक्षकारों को न्याय मिल सके। अस्तु पारित एकतरफा आदेश एवं एकतरफा निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से वादी रेस्पो० एवं अन्य का कितना कितना हिस्सा पृथक करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में कई वर्षों पूर्व ही पारिवारिक सैटलमेंट के तहत बंटवारा हो रहा है एवं सभी पक्षकार पारिवरिक सैटलमेंट के आधार पर आराजी पर काबिज काश्त है, उससे भिन्न पुनः बंटवारा वैद्यानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/10/2019 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को पुनः सुनवायी करने, प्रतिवादी/अपीलांट को अपना जवाब पेश करने व साक्ष्य पेश करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण की सुनवायी कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड किये जाने की कृपा करें।

अपील संख्या 2022/89 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/10/2019 की अपील अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर दी है जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। वादी रघुवीर सिंह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 256 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 259 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 261 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 262 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 275 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 318 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 365 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नंबर 366 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नंबर 546 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 548 रकबा 1.10 बीघा, खसरा, नंबर 549 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नंबर 598/263 रकबा 0.10 बीघा एवं खसरा नंबर 639/328 रकबा 0.10 बीघा कुल 13 किता कुल रकबा 16.09 बीघा अन्य रिज्यूम माफी पटेलाई थे जो नाम दर्ज की गयी है वह उसके हिस्से व कब्जे से ज्यादा दर्ज की गयी है एवं उक्त आराजी उसके कब्जे काश्त में नहीं है। प्रत्येक खसरा नंबर में से हिस्सा कर भू-खण्डों में विभाजित कर छोटे-छोटे भू-खण्ड बना दिए है जिससे सभी को काफी नुकसान व खेती काश्त करने व आने जाने में परेशानी होगी। आये दिन विवाद की स्थिति बनेगी। विधि के प्रावधानों के मुताबिक बंटवारा नहीं किया गया है, कानूनी प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की गयी है। नियम 18 ता 21 की अनदेखी कर गलत डिक्री पारित की है। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है जो आज्ञापक है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट्स की सहमति नहीं है और अपीलान्ट्स को न तो इसकी जानकारी दी, ना ही विभाजन के बाबत पूछा गया उसके आधार पर पारित डिक्री निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त की आराजी का बडा नंबर खसरा नबर 549 रकबा 14.01 बीघा संपूर्ण रकबा अपीलान्ट्स के पास है जिसमें अपीलान्टस ने स्वयं ने 2 कुंए बनवाये हैं एवं काफी पैसा खर्च कर खेत को सिंचित व उपयोगी एवं उपजाऊ बनाया है जिसमें वादी/रेस्पो० के हिस्से 4.13 बीघा में दर्ज कर दिया है इसी तरह अन्य खसरा नंबर 598/263 रकबा

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

1.20 बीघा, खसरा नबर 639/328 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 598/263 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नबर 275 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नंबर 546 रकबा 3.11 बीघा के संपूर्ण रकबा भी अपीलान्ट्स के अधिपत्य व हिस्से में है जिनमें से भी प्रत्येक में वादी रेस्पो० का हिस्सा दर्ज करने बाबत डिक्री पारित कर दी है जो विधि सम्मत नहीं है व नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत है, अतः निरस्तनीय है। अन्तिम डिक्री की पालना पर रोक लगाकर पालना रोका जाना अत्यावश्यक है अन्यथा अपीलान्ट्स को भारी परेशानी, असुविधा एवं आर्थिक नुकसान होगा। उनके कब्जे काश्त के खेतों पर रेस्पो०/वादी कब्जा करने को आमादा होकर झगडा करेगा। अपीलान्ट्स को भारी अपरिमित क्षति होगी, इसलिए निर्णय एवं डिक्री की पालना पर अपीलान्ट्स रोक लगाने के अधिकारी व नालिशी है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/02/2021 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.05.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेंट रघुवीर ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.03.2018 के अनुसार प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए.डी. से तलबी करवायी गई। रजिस्टर्ड ए.डी. प्राप्त नहीं हुई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तलबी मानकर एक तरफा कार्यवाही कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने व्यक्तिगत तामील नहीं की जो आर्डर 5 नियम 9 सी. पी. सी. की अवहेलना है। तामील नहीं होने से हमें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2020 पेज 277 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपील मियाद बाहर है जिसका समुचित कारण अंकित नहीं किया है। जबकि विलम्ब के एक एक दिन का कारण अंकित करना आवश्यक है। अतः अपील खारिज की जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया कि खसरा नं. 256 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 257 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं. 259 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 261 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 362 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 264 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं. 275 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 318 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 265 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 366 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 546 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 548 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 549 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं 598/263 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 639/328 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा माल श्रीपुरा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के मध्य इस कदर विभाजन किया जावे कि वादी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात में हिस्सा 1/3 प्राप्त हो जावे। इस प्रकार आराजी खसरा नं. 254 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 255 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं. 265 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा माल श्रीपुरा का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य इस कदर विभाजन किया जावे कि वादी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात में हिस्सा 1/6 प्राप्त हो जाये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर अपने निर्णय में अंकित किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम श्रीपुरा की कुल किता 15 कुल रकबा 49.17 बीघा एवं वाके ग्राम श्रीपुरा की आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 7.14 बीघा में वादी का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी गण की सहमति के आधार पर कब्जे अनुसार एवं पक्षकारान की सहमति नहीं होने की स्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किये जाने का निर्णय पारित किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

तहसीलदार छीपाबडोद द्वारा पत्रांक 107 दिनांक 27.07.2020 से विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाये जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.03.2021 से अंतिम डिक्री जारी कर विवादित आराजी वाके ग्राम श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसील छीपाबडौद को आदेश दिये गये।

अपीलांट प्रतिवादी कम 4, 5, 7 व 10 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा वाद संख्या 106/2017 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध दो अपीले प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादीगण की विधिवत तामील कराये बिना उनके व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 12.03.2018 को पारित कर दिया इससे अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 18 से 21 की अनदेखी कर अंतिम डिक्री जारी की है। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया, जो आज्ञापक है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम श्रीपुरा, तहसील छीपाबडौद संवत 2070–2073 खाता संख्या 171 एवं खाता संख्या 48 में अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण का नाम शामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2017 को वादी रेस्पोडेंट कम 1 का वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में दिनांक 03.07.2017 की तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 27.07.2017, 23.10.2017 एवं 23.01.2018 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12.03.2018 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाने का कोई आदेश पारित करना स्पष्ट नहीं होता। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.03.2018 की आदेशिका में प्रतिवादीगण 1, 2, 4 ता 12 की रजिस्टर ए.डी. से तामील होना मानते हुए रजिस्टर ए.डी. अप्राप्त रहते हुए केवल एक माह से अधिक का समय होना मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में स्वयं यह अंकित किया है कि रजिस्टर ए.डी. अप्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय ने तामील रिपोर्ट के अभाव में केवल एक माह से अधिक की समयावधि होना मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का जो आदेश पारित किया है वो सी.पी.सी. के तामील हेतु निर्धारित विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील नहीं होने के कारण वे अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने से वंचित रह गये। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी क्षेत्र

अंतिम डिक्री जारी करते समय बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु राज. अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना भी सुनिश्चित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.01.2021 को पटवारी द्वारा तैयार कर तहसीलदार छीपाबडौद को प्रेषित किया गया। तहसीलदार ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर प्रतिहस्ताक्षर कर अपने पत्र दिनांक 27.01.2021 से उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद को प्रेषित किया है, जो नियम 18 से 21 के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से विधिमान्य नहीं है। तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्रतिवादीगण की तामील के अभाव में तथा अंतिम डिक्री राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं करने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2022/90 एवं 2022/89 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10.2019 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 23.02.2021 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करें तत्पश्चात नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं तहसीलदार छीपाबडौद से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय करते हुए अंतिम डिक्री जारी की जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा